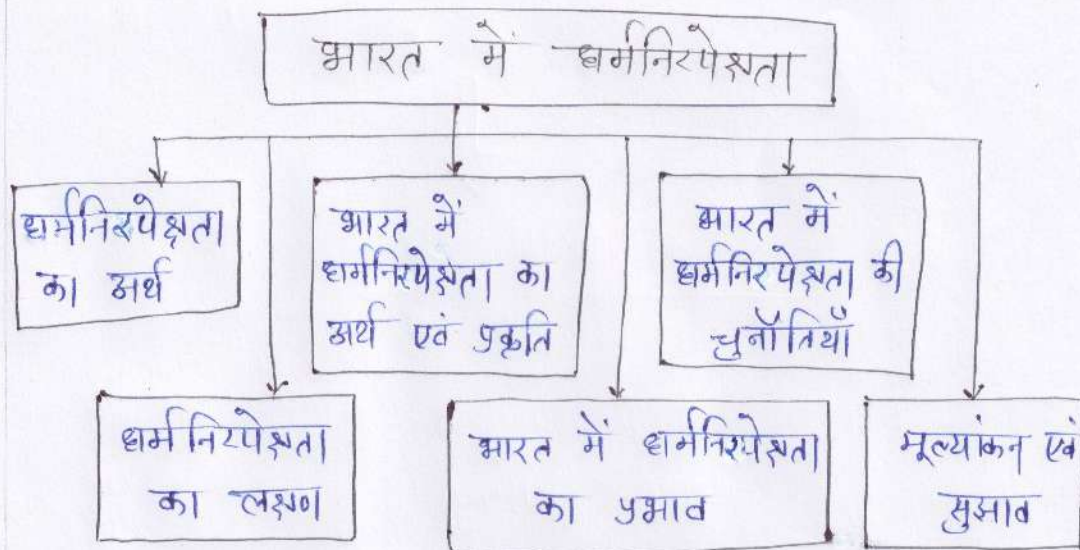




A. धर्मनिरपेक्षता का अर्थ

विशिष्ट अर्थ में -

एक ऐसा सिद्धांत जिसके अंतर्गत राज्य का धर्म से प्रथक्करण पर बल दिया जाता है, धर्मनिरपेक्षता की संज्ञा दी जाती है।

इसके अंतर्गत दो तत्वों पर बल दिया जाता है - 1. राज्य में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये

2. राज्य के लिये सभी धर्म के लोग समान होना चाहिये

वृहद अर्थ में -

एक ऐसा सिद्धांत जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों का धर्म से प्रथक्करण पर बल दिया जाता है - धर्मनिरपेक्षता

कहलाता है।

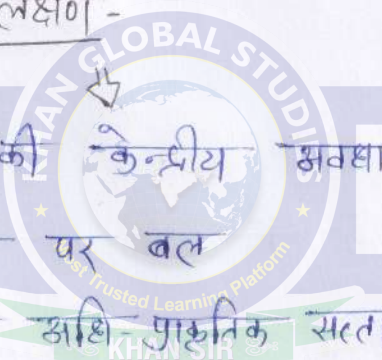


धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ



सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों से धर्म के अतार्किक एवं अविज्ञानिक उभावों के उन्मूलन की प्रक्रिया को धर्मनिरपेक्षीकरण कहते हैं।

धर्मनिरपेक्षता का लक्षण-

- 
1. आधुनिकीकरण की केन्द्रीय अवधारणा
 2. तर्कयुक्त चिंतन पर बल
 3. अलौकिक एवं अविज्ञानिक सत्ता में अविश्वास
 4. इल्लौकिकता में विश्वास
 5. औद्योगिकी और विज्ञान पर निर्भरता में वृद्धि
 6. धर्म का तार्किकीकरण या धर्म का धर्मनिरपेक्षीकरण

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एवं प्रकृति



भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ

भारत में धर्मनिरपेक्षता को यूरोप के अर्थ से भिन्न एक विशिष्ट अर्थ में अपनाया गया है, जहाँ विभिन्न धर्म के लोग समानता, स्वतंत्रता एवं सहिष्णुता के साथ बिना एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं में बाधा उत्पन्न किये एक राज्य का निर्माण करें जिसका अर्थ कोई धर्म न हो और जिसके लिये सभी धर्म समान हों।



झाप्पाटी के बाद इसी विशिष्ट अर्थ में भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसके तहत भारत राज्य किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित नहीं है और राज्य तथा धर्म के बीच प्रयुक्तता विद्यमान है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति

भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति पर दो स्वरूपों के संदर्भ में विचार किया जा सकता है-

1. सैद्धांतिक स्वरूप
2. व्यावहारिक स्वरूप

1. भारत में धर्मनिरपेक्षता का सैद्धांतिक स्वरूप / संप्रैधानिक स्वरूप →

i) भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए एक सेक्यूलर स्टेट (धर्मनिरपेक्ष राज्य / धर्मनिरपेक्ष राज्य) की घोषणा की गई है, जहां भारत का अपना कोई धर्म नहीं है।

ii) संविधान के समस्त सभी समान हैं और राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं अवसर की समानता उपलब्ध करवाता है। (अनुच्छेद 14-18)

iii) सभी को अपने धर्म चालन की स्वतंत्रता है (अनुच्छेद 25)

iv) राज्य किसी के + कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। (अनु. 26-27)।
धार्मिक

v) राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान धर्म से प्रथक होंगे (अनु. 28)।

vi) राज्य किसी धार्मिक समुदाय पर अपनी संस्कृति नहीं थोपेगा और सभी धार्मिक समूहों को अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी (अनु. 30)।

2. भारत में धर्मनिरपेक्षता का व्यावहारिक स्वरूप

i) राज्य एवं धर्म में कानूनी प्रथकता के वाक्पूद राज्य एवं सरकार द्वारा किसी धार्मिक समूह विशेष पर कल्याण के नाम पर स्वर्च किया जाता है।

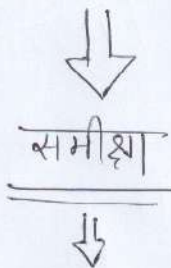
ii) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक धर्म के शिक्षण संस्थान को अनुदान दिया जाता है।

iii) अल्पसंख्यकों द्वारा धर्म के आधार पर विशेष सुविधाओं (भारक्षण आदि) की मांग की जाती है, और राज्य द्वारा उन्हें पूरा भी किया जाता है।

iv) तुल्यीकरण की नीति एवं चुनावी लाभ के लिए धार्मिक समूहों को धर्म के नाम पर विशेष सुविधायें दी जाती हैं और राजनीतिक

दलों द्वारा धर्म के आधार पर मतों की लामबंदी की जाती है।

५) भारत में आप भी समान नागरिक संहिता का अभाव है और कुछ धार्मिक समूहों के लिए "व्यक्तिगत कानून" है।



भारत में धर्मनिरपेक्षता के उपरोक्त दोनों संदर्भ में भिन्नता के कारण भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर प्रश्न उठाया जाता है और कुछ लोगों द्वारा तो यहां तक कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है।

इस संदर्भ में निष्कर्ष है कि-

भारत निश्चित रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो स्वयं को तटस्थ बनाये रखते हुये, सभी धर्मविलम्बियों को अपने-अपने धार्मिक मान्यताओं के पालन की दूर देते हुये, विविधता में एकता के आदर्श की ओर अग्रसर है और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष/आधुनिक शिक्षा के प्रसार द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष

आधुनिक समाज के निर्माण की दिशा में भी क्रियाशील हैं।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का व्यवहारिक स्वरूप निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता विरोधी प्रतीत होता है। लेकिन यहां उल्लेखनीय है कि - लोकतांत्रिक राज्य सदैव समाज के अनुकूल होता है और जब तक भारतीय समाज पर धर्म का प्रभाव बना रहेगा भारतीय राज्य से पूर्ण धर्मनिरपेक्ष क्रिया-कलापों की अपेक्षा की जा सकती है। इसीलिए भारत राज्य की गतिविधियां कई संदर्भों में धर्मनिरपेक्षता विरोधी प्रतीत होती हैं जो धर्मनिरपेक्ष भारतीय समाज के निर्माण के साथ स्वतः पूर्ण धर्मनिरपेक्ष हो जायेगी।

पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता एवं भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर